परमाणुऊर्जाविभाग

सी.एल.एन.डी. अधिनियम2010 परअक्सरपूछेजानेवालेप्रश्नोंका2.0 संस्करण

नाभिकीयदुर्घटनाक्षतिपूर्तिनागरिकदायित्वअधिनियम2010 काप्रबंधकरनेवालेविभागकेरूपमें परमाणुऊर्जाविभाग द्वाराफरवरी2015 मेंजारीकिएगएअक्सरपूछेजानेवालेप्रश्नमेंशामिलकुछप्रश्नोंमेंअद्यतनकेसंबंधमेंसूचितकरनेऔरकुछअन्यपरस्पष्टीकरणप्रदानकरनेहेतुअक्सरपूछेजानेवालेप्रश्नों का 2.0 संस्करण जारीकिया गयाहै। अक्सरपूछेजानेवालेप्रश्नोंका2.0 संस्करणफरवरी2015 मेंजारीकिएगएअक्सरपूछेजानेवालेप्रश्नकेसहवर्तीहैं, औरअद्यतनकिएगएप्रश्नोंकोछोड़कर, इसकाउद्देश्यइसेबदलनायासंशोधितकरनानहींहै।

क.सी.एल.एन.डी.अधिनियम: उत्पत्तिऔरमुख्यविशेषताएं		
1	**भारतनेसी.एल.एन.डी.अधिनियम का गठनक्योंकिया?**	यह किसीनाभिकीयदुर्घटनाकेपीड़ितोंकोगैर-चूक देयताव्यवस्थाकेमाध्यमसेशीघ्रमुआवजाप्रदानकरनेकेउद्देश्यसेलागूकियागयाहै। अधिनियमकाउद्देश्यभारतकोसीएससीकासदस्यराष्ट्रबननेकीसुविधादेनाभीथा।

2	**अधिनियमकीमुख्यविशेषताएंक्याहैं?**	- गैर-चूकदेयताव्यवस्थाकेमाध्यमसेपीड़ितोंकोमुआवजा - मुआवजाप्रदानकरनेहेतुविशिष्टक्षेत्राधिकारक्षमताऔरतंत्र - ऑपरेटरकेप्रतिदायित्वकोचैनलाइज़ - मात्राऔरसमयमेंऑपरेटरकीदेयताकोसीमितकरना - वित्तीयसुरक्षायाबीमाकेमाध्यमसेऑपरेटरद्वाराअनिवार्यकवरेज
	ख. सी.एल.एन.डी.अधिनियमऔरसीएससी	
3	**सी.एस.सी. क्याहै? सी.एल.एन.डी. अधिनियमसी.एस.सी. सेकैसेसंबंधितहै?**	1997 केनाभिकीयदुर्घटनाक्षतिपूर्तिमुआवजा (सीएससी) सम्मेलनकाउद्देश्यदुनियाभरमेंदेयताव्यवस्थास्थापितकरनातथानाभिकीयदुर्घटनाओंकेपीड़ितोंकेलिएउपलब्धमुआवजेकीराशिमेंवृद्धिकरनाथा।कोईराष्ट्रजो 1963 वियनाकन्वेंशनया1960 पेरिसकन्वेंशनकाहिस्साहो, सीएससीकासदस्यबनसकताहै।कोईराष्ट्रजोइनसम्मेलनोंमेंसेकिसीकासदस्यनहींहै, वहभीसीएससीकासदस्यबनसकताहैअगरनाभिकीयदायित्वपरउसकेराष्ट्रीयकानूनसीएससीऔरउसकेअनुबंधकेप्रावधानोंका अनुपालनकरतेहैं, जोसीएससीकाएकअभिन्नअंगहै। भारतवियनायापेरिसकन्वेंशनकाहिस्सानहींरहाहै, औरइसनेअपनेराष्ट्रीयकानूनयानिसीएलएनडीअधिनियमकेआधारपर 29 अक्टूबर 2010 कोसीएससीपरहस्ताक्षरकिएऔर 4 फरवरी 2016
4	**क्याभारतकासी.एल.एन.डी. अधिनियमसी.एस.सी. केसाथसंगतहै?**	सीएलएनडीअधिनियमकेप्रावधानऑपरेटरकोसख्त / पूर्णकानूनीदेयता, मात्राऔरसमयमेंदेयताकीसीमाएं, बीमायावित्तीयसुरक्षाद्वाराकवरदेयता, नाभिकीयस्थापना, क्षति, आदिकीपरिभाषाओंकेसंदर्भमेंसीएससीऔरइसकेअनुलग्नककेअनुपालनमेंहैं।वास्तवमें, सीएलएनडीअधिनियमनेभारतकोसीएससीमेंशामिलहोनेहेतुआधारप्रदानकियाहै।सीएससीकेअनुच्छेदXVIII मेंआवश्यकहैकिसंविदाकारीपक्षकेराष्ट्रीयकानूनजोविएनाकन्वेंशनयापेरिसकन्वेंशनकासदस्यनहींहै, कोइसकन्वेंशनकेअनुबंधकेप्रावधानोंकापालनकरनाहोगा।सीएलएनडीअधिनियमअनुबंधकेकन्वेंशनकेअनुरूपहै।नतीजतन, भारतसीएससीकासदस्यबनगया।

5	**क्याअधिनियमसी.एस.सी. केतहतपरिकल्पितपरमाणुसंयंत्रकेऑपरेटरकेदायित्वकोप्रणालीप्रदानकरताहै?**	हां।धारा4 (1) प्रदानकरतीहैकिपरमाणुसंस्थापनकाऑपरेटरनाभिकीयदुर्घटनाकेकारणहोनेवालेनाभिकीयक्षतिपूर्तिकेलिएउत्तरदायीहोगा। इसकेअलावा, धारा4 (4) प्रदानकरताहैकिनाभिकीयसंस्थापनकेऑपरेटरकादायित्वसख्तहोगाऔरवहगैर-चूकदायित्वकेसिद्धांतपरआधारितहोगा।धारा8 (1) प्रदानकरताहैकिऑपरेटरकोअपनेपरमाणुसंस्थापनकासंचालनशुरूकरनेसेपहलेअपनेदायित्वकोकवरकरतेहुएबीमापॉलिसी याइसतरहकीवित्तीयसुरक्षाकरनीहोगी।अधिनियमकेअधिकारकेसाथयेसभीप्रावधानस्पष्टहैंऔरसुनिश्चितकरतेहैंकिदेयता
	ग.ऑपरेटरकीदेयता	
6	**ऑपरेटरकौनहै?**	अधिनियमऑपरेटरकीपरिभाषाप्रदानकरताहैकि, "परमाणुसंस्थापनकेसंबंधमेंऑपरेटरकाअर्थकेंद्रसरकारयाइसकेद्वारास्थापितकिसीभीप्राधिकरणयानिगमयासरकारीकंपनी सेहै, जिसेउससंस्थापनकेसंचालनहेतुपरमाणुऊर्जाअधिनियम, 1962 (1962 का33) केतहतअनुज्ञप्तिप्रदानकियागयाहै।"
	घ. देयताकीराशि, क्षतिपूर्तिआदि	
7	**सीएलएनडीअधिनियमकेतहतकितनामुआवजादेयहै?**	वर्तमानमें, सी.एल.एन.डी. अधिनियमकीधारा6 (1) यहदर्शातीहैकिप्रत्येकनाभिकीयदुर्घटनाकेसंबंधमेंदेयताकीअधिकतमराशितीनसौमिलियनविशेषआहरणअधिकार (एसडीआर) केबराबरहोगी।जैसाकि1 एसडीआरकावर्तमानमूल्यलगभग105.5658 रुपयेहै, तीनसौमिलियनएसडीआरलगभग3166.97 करोड़रुपयेकेबराबरहैं।
8	**ऑपरेटरकीदेयताकितनीहै**	अधिनियमकीधारा 6 (2) यहदर्शाताहैकिऑपरेटरकीअधिकतमदेयता 1500 करोड़रुपयेहोगी।
9	**तो,आपकुलमुआवजेकोकैसेपूराकरतेहैं?**	सीएलएनडीअधिनियमकीधारा 7 (1) (क) केअनुसार, कुलदेयता 1500 करोड़रुपयेसेअधिकहोनेपर, इसकेऔर 300 मिलियनएसडीआरकेबीचकेअंतरकोकेंद्रसरकारद्वारापूराकियाजाएगा। 300 मिलियनएसडीआरकेबराबररुपयेकेअलावा, भारतसीएससीकेतहतअंतर्राष्ट्रीयनिधियोंकाउपयोगकरनेमेंसक्षमहोगा।
10	**क्याआपकेपाससरकारीसहायतापानेहेतुतंत्रहै**	सीएलएनडीअधिनियमकीधारा 7 (2) मेंप्रावधानहैकिकेंद्रसरकारसंचालकोंसेउगाहीकीइतनीराशिवसूलकरनिर्धारितअनुसार "परमाणुदायित्वकोष" स्थापितकरसकतीहै।परमाणुदायित्वकोषदिसंबर 2015 सेस्थापितकियागयाहै।

11	**क्याऑपरेटरकोमौजूदाअनुबंधोंपरवर्तमानमेंकानूनकेतहततयराशिसेभविष्यमेंअधिकमुआवजादेनेहेतुकहा जासकताहै?**	भविष्यमेंअधिनियममेंमुआवजेकीराशिकेसंभावितसंवर्द्धनकेसवालऔरमौजूदाअनुबंधोंकेसंबंधमेंआपूर्तिकर्ताओंकेखिलाफपुनरावृत्तिपरइसकेप्रभावकेसंबंधमें, इसकेलिएअच्छीतरहसेस्थापितकानूनव्यवस्थाहैजिससेकानूनमेंबदलावसेतत्कालीनमौजूदाकानूनकेतहतकिएगएमौजूदाअनुबंधकीशर्तेंबदलनहींसकतीहैं।पहलेसेमौजूदकोईकानूनजोअनुबंधकेतहतकिसीपक्षकेनिहितअधिकारोंकोप्रभावितकरताहै, कानूनकीअदालतमेंधारणीयनहींहोगा।
	ङ. अनुच्छेद 46 कीप्रयोज्यता	
12	**क्यापरमाणुक्षतिपूर्तिकेमुआवजेहेतुधारा 46 केतहतअनुज्ञा-पत्रकादावासीएलएनडीअधिनियमकेअलावाअन्यकानूनोंकेतहतलायाजाएगा?**	सीएलएनडीअधिनियमकीधारा 46 मेंयहप्रावधानहैकि "इसअधिनियमकेप्रावधानतत्काललागूकिसीअन्यकानूनकेअलावाहोंगे, नकिउसकेअप्रतिष्ठामें, तथाइसमेंनिहितकोईभीबातऑपरेटरकोऐसीकिसीकार्यवाहीसेछूटप्रदाननहींकरेगीजोइसअधिनियमकेअलावाऐसे**ऑपरेटर**के विरूद्धशुरूकीजासकतीहै।"यह'ऑपरेटर' केसंबंधमेंअन्यकानूनकेइस्तेमालकोसंरक्षितकरनेहेतुएकसामान्यप्रावधानहै।वास्तवमें, नागरिकपरमाणुदायित्वपरकोईअन्यकानूननहींहै। सीएलएनडीअधिनियम, 2010
13	**क्याधारा 46 पीड़ितोंकोऑपरेटरयाआपूर्तिकर्ताकेविरूद्धविदेशीन्यायालयोंमेंजानेकीअनुमतिदेतीहै?**	यहविदेशीन्यायालयोंमेंजानेकेलिएपीड़ितोंकेलिएआधारसृजितनहींकरतीहै।वास्तवमें, यहक्षतिपूर्तिप्राप्तकरनेकेलिएपरमाणुक्षतिकेपीड़ितोंकेलिएघरेलूकानूनीरूपरेखाप्रदानकरनेसंबंधीकानूनकीबुनियादीमंशाके विरूद्धहोगा।यहतथ्यकिविदेशीन्यायालयोंकेक्षेत्राधिकारकोलागूकरनेकेलिएएकविशिष्टसंशोधनकोसीएलएनडीविधेयकअपनानेकेदौराननकारदियागयाथा, इसव्याख्याकोपुष्टकरताहै।
	च. आपूर्तिकर्तासेसंबंधितमुद्दे / ऑपरेटरकेअवलंबकाअधिकार	
1	**'आपूर्तिकर्ता' कौनहै?**	सीएलएनडीनियमावलीकेनियम 24 मेंइसबातकाउल्लेखहैकिआपूर्तिकर्तामेंऐसाव्यक्तिशामिलहोगा, जो:

4	**क्याआपूर्तिकर्ताहमेशाविदेशीकंपनीहोतीहै?**	(i) सीधेयाकिसीएजेंटकेमाध्यमसेकिसीसिस्टम, उपकरणयाघटककाविनिर्माणएवंआपूर्तिकरताहैयाकार्यसाधकविनिर्देशनकेआधारपरकिसीसंरचनाकानिर्माणकरता है; या (ii) किसीसिस्टम, उपकरणयाघटककेविनिर्माणयासंरचनाकेनिर्माणकेलिएकिसीवेंडरकोप्रिंटकरनेकेलिएनिर्मितयाविस्तृतडिजाइनवि निर्देशनप्रदानकरताहैऔरडिजाइनएवंगुणवत्ताआश्वासनकेलिएऑपरेटरकेप्रतिजिम्मेदारहै; या (iii)गुणवत्ताआश्वासनयाडिजाइनसेवाएंप्रदानकरताहै। उपरोक्तनिरूपणकेविस्तृतअवलोकनसेपताचलताहैकि 'सिस्टमडिजाइनरऔरप्रौद्योगिकीकामालिक'आपूर्तिकर्ताहै।तदनु सार, एनपीसीआईएलनेपीएचडब्ल्यूआरकेलिएआपूर्तिकर्ताकीभूमिकातयकीहैऔरइसेअनुबंधकीसामान्यशर्तोंमेंस्पष्टरूपसेदर्शाया गयाहै। एनपीसीआईएलयाकोईअन्यऑपरेटरउनकेऔरविक्रेताद्वाराचुनेगएडिज़ाइनविनिर्देशोंकेआधारपररिएक्टरस्थापितकरसक तेहैं, जोसिस्टमकोडिज़ाइनकरताहैऔररिएक्टरस्थापितकरनेहेतुप्रौद्योगिकीकामालिकहैऔरसंपूर्णरिएक्टरकोएकीकृतकरताहै, आपूर्तिकर्ताहोगा। 'सिस्टमडिजाइनरऔरप्रौद्योगिकीकामालिक'कईविक्रेताओंसेअनिवार्यरूपसेस्रोतकीआपूर्तिकरेंगे।हालां कि, नियम24 केअनुसार, उसकेपाससभीविक्रेताओंकीओरसेआपूर्तिकर्ताकीभूमिकाहोतीहैऔरयहअनुबंधकीसामान्यशर्तोंमेंस्पष्टरूपसेनिर्दिष्टकरसक ताहैजैसाकिपीएचपीसीआरकेसंबंधमेंएनपीसीआईएलद्वाराकियागयाहै।

15	**धारा17तथाधारा17 (ख) मेंआपूर्तिकर्ताकेविरूद्धअवलंबलेनेकाअधिकारक्याहोगा?**	अधिनियमकीधारा17मेंयहप्रावधानहैकिधारा6केअनुसरणमेंपरमाणुक्षतिकेलिएक्षतिपूर्तिकाभुगतानकरनेकेबादपरमाणुसंयुत्रकेऑपरेटरकोअवलंबलेनेकाअधिकारहोगा, जहां- (क) संविदामेंलिखितरूपमेंऐसाअधिकारस्पष्टरूपसेप्रदानकियागयाहै; (ख) परमाणुदुर्घटनाआपूर्तिकर्तायाउसकेकर्मचारीकीकिसीकार्रवाईकीवजहसेहुईहै, जिसमेंपेटेंटयाअंतर्निहितदोषकेसाथउपकरणयासामग्रीकीआपूर्तियाघटियास्तरकीसेवाएंशामिलहैं; (ग) परमाणुदुर्घटनापरमाणुक्षतिउत्पन्नकरनेकेउद्देश्यसेकिसीव्यक्तिकेभूल-चूकसेहुईहै।
16	**अवलंबकेअधिकारकीअवधिक्याहै?**	परमाणुऊर्जाविकिरणसंरक्षणनियम 2004 याउत्पाददेयताअवधिकेतहतजारीप्रारंभिकलाइसेंसकेअवलंबकेअधिकारकीअवधि, जोभीअधिकहो, वहहोगी।यहआमतौरपरपांचसेसातसालकीअवधिहोतीहै।इसप्रकार, आपूर्तिकर्तापरअवलंबकाअधिकारकेवलइससीमितअवधिकेलिएहीलागूकियाजासकताहै। [उत्पाददेयताअवधिकाअर्थहैवहअवधिजिसकेलिएआपूर्तिकर्तानेकिसीअनुबंधकेतहतपेटेंटयाअव्यक्तदोषयाउपमानकसेवाओंहेतुदायित्वनिभायाहै।]
17	**यदिअवलंबकेअधिकारकाप्रयोगकियाजाताहैतोआपूर्तिकर्ताकीदेयताक्याहै?**	यदिआपूर्तिकर्तानेआईएनआईपीसेआपूर्तिकर्ताकीनीतिअपनाईहैऔरयहीलागूहोतीहै, तोआईएनआईपीआपूर्तिकर्ताकोहानिमुक्तरखेगा।
18	**नियम 24 अवलंबकेअधिकारकेप्रयोगहेतुएकअवधिनिर्दिष्टकरताहै।इसअवधिकेपूराहोनेकेबादक्याहोगा।कईरिएक्टर, जोअभीभारतमेंचलरहेहैं, कानिर्माणसीएलएनडीअधिनियमकेअधिनियमनसेपहलेकियागयाथा।ऐसेरिएक्टरकेलिएखरीदेजारहेपु**	पुर्जों, याप्रतिस्थापनउपकरणोंऔरघटकोंकीआपूर्तिकेलिएयाविक्रेताओंकेसाथअनुबंध, यासीएलएनडीअधिनियम, 2010 कीअधिसूचनासेपहलेनिर्मितकिसीभीपरमाणुऊर्जासंयंत्रहेतुसेवाओंकेप्रावधानकेलिए, याआपूर्तिकर्ताएनपीसीआईएलकेसाथकिसभूमिकामेंनिहितहै, यानियम 24 मेंनिर्दिष्टसमयावधिकेपूरेहोनेकेसंबंधमें, एनपीसीआईएलआपूर्तिकर्ताकीभूमिकानिभाएगा।

	जोंकाआपूर्तिकर्ताकौनहै?	
19	**आपूर्तिकर्ताकीअधिकतमदेयताक्याहै**	आपूर्तिकर्ताकीदेयताऑपरेटरकीतुलनामेंअधिकनहींहोसकतीहै, जिसेप्रश्न 8 मेंसमझायागयाहै।
20	**क्याइसमुद्देपरभारतीयसंसदमेंचर्चाहुईथी?**	राज्यसभामें, भारतीयसंसदकेऊपरीसदनमेंधारा 17 मेंसंशोधनप्रस्तावितकियागयाथा, जोप्रावधानकरताहैकिऑपरेटरकेअवलंबकाअधिकारधारा 6 केप्रावधानोंद्वारासीमितनहींहोगा।यहसवालसदनमेंरखागयाऔरप्रस्तावकोनकारदियागया।इसप्रकारअवलंबकाअधिकारधारा 6 केप्रावधानोंतकसीमितहै। [अनुबंधक]
21	**उपर्युक्तअवलंबकाअधिकार, क्याअभिसमयकेअनुबंधसेआगेनहींजारहेहैं?**	सीएससीकेअनुच्छेद 10 मेंधारा 17 (क) और 17 (ग) मेंपरिकल्पितस्थितियोंकोकवरकियागयाहै; धारा 17 (ख) प्रकटरूपसेसीएससीकेअनुबंधकेअनुच्छेद 10 मेंप्रदत्तअवलंबकेअधिकारकेलिएअभिचिन्हितस्थितियोंकेअतिरिक्तहै।तथापिधारा 17 (ख) मेंअभिचिन्हितस्थितियांउत्पादबाध्यतानिर्धारण / स्थितियांयासेवासंविदाजैसीकार्रवाइयोंएवंमामलोंसेसंबंधितहैं।येसाधारणतयाऑपरेटरएवंआपूर्तिकर्ताकेबीचसंविदाकाअंगहैं।यहस्थितिनईहैअपितुवस्तुत: संविदाकाएकसामान्यघटकहै।इसप्रकार, इसप्रावधानकोउत्पादबाध्यतापरऑपरेटरएवंआपूर्तिकताकेबीचसंविदाकेसंगतखंडकेसाथ / उसकेसंदर्भमेंपढ़ाजाएगा।ऑपरेटरऔरआपूर्तिकर्तालागूकानूनकेआधारपरअपनीसंविदाकीशर्तोंपरसहमतिबनानेकेलिएस्वतंत्रहै।किसीसंविदाकेपक्षकारसामान्यतयावारंटीएवंक्षतिपूर्तिखंडोंकेअनुसरणमेंअपनीबाध्यताओंकीसीमाकोविस्तारसेनिर्दिष्ट करतेहैंजोऐसीसंविदाओंकेसामान्यतौरपरअंगहोतेहैं। सीएससीकेअनुबंधकाअनुच्छेद 10 (क) किसीभीढंगसेआपरेटरऔरआपूर्तिकर्ताकेबीचसंविदाकीअंतर्वस्तुओंकोसीमितनहींकरताहैजिसमेंआपरेटरऔरआपूर्तिकर्ता द्वारासहमतअवलंबकाआधारभीशामिलहै।इसलिए, उपर्युक्तकेमद्देनजर, जहांतकधारा 17 (ख) मेंआपूर्तिकर्ताकेसंदर्भकासंबंधहै, यहसीएससीकेअनुबंधकेअनुच्छेद 10 (क) केअनुरूपहोगानकिइसकेविपरीत।आपरेटरऔरआपूर्तिकर्ताद्वारासहमतसंविदाकीशर्तोंकेमाध्यमसेइसेप्रवृत्तकियाजाएगा।

22	**आपूर्तिकर्ताओंकेप्रश्नोंकोअवलंबकेअधिकारकेमुद्देपर कैसेसंतुष्टकियागयाहै?**	सरकारऔरउद्योगकेप्रतिनिधियोंकेसाथबातचीतकेदौरान, भारतीयपक्षनेपरमाणुक्षतिकेलिएसिविलबाध्यता (सीएलएनडी) अधिनियमऔरनाभिकीयदुर्घटनाक्षतिपूर्तिमुआवजा (सीएससी) सम्मेलनहेतुअनुपूरकमुआवजेकाप्रमाणीकरणकिया।दायित्वहेतुसमग्रजोखिम-प्रबंधनयोजनाकेभागकेरूपमेंभारतपरमाणुबीमापूलकातंत्रभीउन्हेंसमझायागयाहै।हमारेवार्ताकारोंकोयहभीबतायागयाहैकि ऑपरेटरकीनीतिऔरआपूर्तिकर्ताकीनीतिजारीकरदीगईहै।
23	**क्याअवलंबकाअधिकारआपूर्तिकर्ताकीसंविदात्मकश र्तोंमेंशामिलकियागयाहै**	हां, अक्सरपूछेजानेवालेप्रश्नोंमेंबताएअनुसारआपूर्तिकर्ताकीपरिभाषाकेस्पष्टीकरणकेआधारपरकियागयाहै।
24	**उपरोक्तप्रश्नोंसेकिसीकोयहआभासहोजाताहैकिऑप रेटरउप-विक्रेताओंकोअवलंबकाअधिकारदेसकताहै**	आपूर्तिकर्ताकीपरिभाषाकोप्रश्नसंख्या 14 मेंसमझायागयाहै।प्रस्तावितपरियोजनाओंकेमामलेमें, सीएलएनडीअधिनियमकेपरिप्रेक्ष्यसे, सिस्टमडिजाइनरआपूर्तिकर्ताहोगा।हालांकि, अगरआपूर्तिकर्ताअपनेउप-विक्रेताओंकोबीमापॉलिसीखरीदनेकीसलाहदेनाचाहताहै, तोऑपरेटरकोकोईआपत्तिनहींहोगी।किसीभीपरमाणुदुर्घटनाकेलिएऑपरेटरकीओरसेदेयताकीकुलराशि 1500 करोड़रुपयेहै।
	छ. आपूर्तिकर्ताके लिएधारा 46 कीगैर-प्रयोज्यता	
25	**क्याधारा 46 सीएससीकेउल्लंघनकीस्थितिमेंआपूर्तिकर्ताओंपरला गूहोतीहै?**	प्रावधानमें'आपूर्तिकर्ता'काकोईउल्लेखनहींहै, औरइसलिए'ऑपरेटरविशिष्ट'है। यहधाराकेवलआपरेटरपरलागूहोतीहैतथाआपूर्तिकर्तापरलागूनहींहोतीहै, जैसाकिइसअधिनियमकोअपनातेसमयसंसदीयबहसद्वारापुष्टिकीगईहै।उल्लेखनीयहैकिसीएलएनडीविधेयककोएकवोटसे अपनायागयाथा।विधेयककेविभिन्नखंडोंपरमतदानकेदौरान, आपूर्तिकर्ताकेलिएधारा 46 कोलागूकरनेकेलिएसंशोधनसंसदकेमाननीयसदस्योंद्वाराभारतीयसंसदकेदोनोंसदनोंयानिराज्यसभा, उच्चसदनऔरनिचलासदन, लोकसभामेंलायागयाथा, जिसपरमतदानहुआऔरनकारदियागयाथा।[अनुबंधख] प्रावधानकोस्पष्टरूपसेसंविधिसेबाहरकरदियागयाउसेव्याख्याकेमाध्यमसेसंविधिमेंनहींपढ़ाजासकताहै।यहकानूनकासुस्था

		पितसिद्धांतहैकिहरसंविधिकीव्याख्याविधायिकायासंविधिकेनिर्माताकीमंशाकेअनुसरणमेंकरनीहोतीहै।
	ज. भारतीयपरमाणुबीमापूल	
26	**भारतपरमाणुबीमापूल (आईएनआईपी) क्याहैऔरयहकैसेकार्यकरताहै?**	11 घरेलूगैर-जीवनबीमाकंपनियोंकेसाथमिलकरजीआईसीरेनेजोखिमअंतरणतंत्रभारतपरमाणुबीमापूल (आईएनआईपी) कागठनकियाहै, जोप्रत्यक्षबीमाजारीकरनेवालीनिर्दिष्टपॉलिसीकेमाध्यमसेपरमाणुदायित्वजोखिमकोकमकरनेहेतुअपनीक्षमताओंकायोगदा नदेकरइसपूलव्यवस्थामेंशामिलहोताहै।पूलकीकुलक्षमता 1500 करोड़रुपयेहै।आईएनआईपीसीएलडीएनअधिनियमकीधारा 6 (2) औरआपूर्तिकर्ताओंकीधारा 17 (क) औरसीएलएनडीअधिनियमकीधारा (ख) केतहतपरमाणुऑपरेटरकेदायित्वकेजोखिमोंकोकवरकरताहै।
27	**पूलकेतहतकिसतरहकेप्रीमियमएवंबीमापॉलिसीकीपरिकल्पनाकीगईहै?**	आईएनआईपीसीएलएनडीअधिनियमकीधारा 6 (2) केतहतपरमाणुऑपरेटरकीबाध्यतातथाधारा 17 केतहतआपूर्तिकर्ताओंकीबाध्यतासेसंबंधितजोखिमोंकोकवरकरताहै। **परमाणुऑपरेटरकीदेयता (सीएलएनडीअधिनियम 2010) बीमापॉलिसी** **मुख्यविशेषता:**आईएनआईपीपॉलिसीअवधिकेदौरान, नीतिमेंनिहितनियमों, बहिष्करणऔरशर्तोंकेअधीन, परमाणुदुर्घटनासेउत्पन्नपरमाणुक्षतिकेसंबंधमेंसीएलएनडीअधिनियम 2010 केतहतबीमितऑपरेटरोंकेखिलाफबीमितऑपरेटरोंकीक्षतिपूर्तिकरेगा। **परमाणुआपूर्तिकर्ताकीबीमापॉलिसी (केवलसीएलएनडीअधिनियम-2010 केतहतअवलंबकाअधिकार)** **मुख्यविशेषता:**आईएनआईपीनीतिमेंनिहितनियमों, बहिष्करणऔरशर्तोंकेअधीन, सीएलएनडीअधिनियम, 2010 कीधारा 17 केतहतपरमाणुऑपरेटरकेअधिकारसेबाहरहोनेवालेअपनेदायित्वकेविरुद्धबीमितव्यक्तिकीक्षतिपूर्तिऔरउसेहानिमुक्तकरेगा ।

		मूल्यनिर्धारण / प्रीमियमउत्पादकेअनुसारअलग-अलगहोतेहैंऔरविभिन्नकारकोंपरनिर्भरकरतेहैं।रिएक्टरोंकीआयु, स्थान, रिएक्टरोंकीसंख्या, पॉलिसीअवधिआदिपरऑपरेटरकीपॉलिसीकेमूल्यनिर्धारणकेसमयविचारकियाजाताहै।आपूर्तिकर्ताकेपॉलिसीकेमूल्यनिर्धारणकेलिएकारकोंजैसेकिऑपरेटरकेसाथआपूर्तिकर्ताकाअनुबंधमूल्य, मांगेगएकवरकीअवधि, उप-आपूर्तिकर्ताओंकीसंख्याआदिपरविचारकियाजाताहै।
28	**क्याऑपरेटरकीपॉलिसीजारीकीगईहै?**	हां।ऑपरेटरकीपॉलिसी 2015 सेजारीकीगईहै।
29	**क्याआपूर्तिकर्तापॉलिसीजारीकीगईहै?**	हां।आपूर्तिकर्ताकीपॉलिसी2018 सेजारीकीगईहै।
30	**क्याप्रीमियम (सदस्यताशुल्क) अवलंबकेअधिकारकीसभीअवधिकेदौरानसमानहोगा।**	यहबाजारपरनिर्भरकरेगा।हालांकि, किसीआकस्मिकबदलावकीउम्मीदनहींहै।